जमाकर्ता शिक्षा और जागरुकता निधि (डीईएएफ़) से वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु संस्थाओं, संगठनों और संघों को पंजीकृत करने के लिए मानदण्डों के संबंध में दिशानिर्देश

1. पृष्ठभूमि

बैंककारी नियम (संशोधन) अधिनियम, 2012 के संशोधन के अनुसरण में धारा 26 ए को बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 में शामिल किया गया है जिसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को जमाकर्ता शिक्षा और जागरुकता निधि नामक एक निधि स्थापित करने की शक्ति प्राप्त हुई। तदनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता से परामर्श के लिए प्रारुप **जमाकर्ता शिक्षा और जागरुकता निधि योजना** 21 जनवरी 2014 को अपनी वेबसाइट पर रखा था। प्रारूप मानदण्डों पर प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों के आधार पर जमाकर्ता शिक्षा और जागरुकता निधि योजना, 2014 (योजना) तैयार की गई और इसे 24 मई 2014 को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया।

2. उक्त निधि का निर्माण किया गया है तथा सभी बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा स्थानीय क्षेत्र सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक/शहरी सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक) को सूचित किया गया है कि वे ऐसे निष्क्रिय जमा खातों, जिनमें दस या उससे अधिक वर्ष से कोई दावा या परिचालन नहीं किया गया है, या योजना के पैरा 3 (vii) में यथाउल्लिखित कोई भी जमा या कोई भी राशि, जिसके संबंध में दस से अधिक वर्ष तक दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है, प्रत्येक कैलेंडर माह में देय (अर्थात निष्क्रिय खातों के आगमों और दस या अधिक वर्ष के लिए अदावी जमाशेष पर अगले माह के अंतिम कार्य दिवस पर अर्जित ब्याज सहित) होने पर इस निधि में अंतरित करेंगे, जैसा कि योजना में विनिर्दिष्ट किया गया है।

3. इस निधि का उपयोग जमाकर्ताओं के हितों को बढ़ावा देने के लिए तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए गए उन उददेश्यों के लिये किया जाएगा, जो जमाकर्ताओं के हितों के प्रवर्तन के लिए आवश्यक होंगे। तथापि, जमाकर्ता दस वर्ष की समाप्ति के बाद भी बैंक से अपनी जमाराशि का दावा करने अथवा अपने खाते का परिचालन करने का हकदार होगा, भले ही उसकी अदावी जमाराशि निधि में अंतरित कर दी गई हो। जमाकर्ता को जमाराशि का भुगतान करने की जिम्मेदारी बैंक की होगी और निधि से इस रकम की धन-वापसी के लिए बैंक को दावा करना होगा।

4. योजना के पैरा 8 (i) में यह अपेक्षित है की निधि का प्रबंधन तथा नियंत्रण करने के लिए योजना के अनुसार एक समिति गठित की जाए। योजना का पैरा 11 (i) यह सूचित करता है कि जमाकर्ताओं के हितों को बढ़ावा देने के लिए समिति समय-समय पर ऐसी विभिन्न संस्थाओं, संगठनों तथा संघों को पंजीकृत कर सकती है/मान्यता प्रदान कर सकती है जो जमाकर्ता जागरुकता और शिक्षा से संबंधित गतिविधियों से जुड़े हों। इन गतिविधियों में बैंक जमाकर्ताओं के लिए कार्यक्रम चलाने, जमाकर्ताओं के लिए सेमिनार तथा विचारगोष्ठी आयोजित करने, जमाकर्ताओं के लिए इन क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाएं तथा शोध कार्य करवाने तथा जैसी

गतिविधियां शामिल हैं। साथ ही, योजना के पैरा 11 (iii) में बताया गया है कि संस्थाओं, संगठनों तथा संघों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मानदण्डों का निर्धारण समिति ही करेगी। तदनुसार, संस्थाओं, संगठनों एवं संघों को निधि से वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु पंजीकृत करने के लिए प्रारूप मानदण्ड बनाए गए थे तथा 28 अक्तूबर 2014 को जनता की टिप्पणियों के लिए जारी किए गए थे। प्रारूप मानदण्डों पर प्राप्त सुझावों तथा टिप्पणियों के आधार पर संस्थाओं, संगठनों एवं संघों के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है।

II दिशानिर्देश

1. पंजीकरण के लिए पात्र संस्थाएं

क) पंजीकरण के लिए निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार किया जाएगा

पहले से ही जमाकर्ता शिक्षा और जागरुकता संबंधी क्रियाकलापों में लगी हुई, जमाकर्ताओं की शिक्षा के लिए कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव करने वाली, जमाकर्ताओं के लिए शोध-कार्य सहित सेमिनार तथा विचारगोष्ठी आदि आयोजित करने से संबंधित गतिविधियों वाली संस्थाओं, संगठनों एवं संघों को सहायता प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है ।

ख) संस्थाएं, संगठन और संघ निम्नलिखित में से हो सकते हैं -

क) पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट के रूप में गठित,

ख) सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 21) या इस अधिनियम के अनुरूप भारत के किसी हिस्से में लागू किसी विधि के अन्तर्गत पंजीकृत;

ग) राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत;

घ) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 8) की धारा 8 के अन्तर्गत पंजीकृत

ड़) विधि द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय;

च) सरकार द्वारा मान्य या विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्य या विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध कोई अन्य शैक्षिक संस्था;

छ) सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त कोई संस्था; या

ज) संघ (भारत) के सशस्त सुरक्षाबलों द्वारा इन सुरक्षाबलों के भूतपूर्व या वर्तमान सदस्यों या उनके आश्रितों के हित के लिए स्थापित रेजीमेंट निधि या गैर–सरकारी निधि।

2. उद्देश्य

जमाकर्ता शिक्षा और जागरुकता या जमाकर्ताओं की शिक्षा के लिए कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव करने वाली, जमाकर्ताओं के लिए शोध-कार्य सहित सेमिनार तथा विचारगोष्ठी आयोजित करने से संबंधित गतिविधियों वाली संस्थाओं, संगठनों तथा संघों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

3. पात्र संस्थाओं द्वारा पूरा करने के लिए अपेक्षित शर्तें

क) संस्थाओं / संगठनों / संघों के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए संस्थाओं / संगठनों / एसोसिएसन के नियम, विनियम और अथवा उप-नियम होंगे। ये नियम, विनियम और/ अथवा उप-नियम पंजीकरण की शर्तों के अनुसार होने चाहिए। इनका प्रबंधन एक नियंत्रक निकाय/ प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा। साथ ही, संथाओं / संगठनों / संघों के उपनियमों या उद्देश्यों में "चेरिटेबल उद्देश्यों '' को छोड़कर किसी अन्य उद्देश्य के लिए आय या आस्तियों का व्यय करने का प्रावधान नहीं होना चाहिए।

ख) संस्थाओं/ संगठनों / संघों में न्यूनतम 20 सदस्य होंगे और उनका पिछला रिकॉर्ड स्वच्छ होना चाहिए। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 या कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अन्तर्गत पंजीकृत कंपनियों के लिए, न्यूनतम 20 शेयरधारकों / सदस्यों की अपेक्षा के अतिरिक्त, बहुविध शेयर धारिता, कम से कम 3 स्वतंत्र निदेशक, अच्छा कॉर्पोरेट अभिशासन तथा लेखापरीक्षा समिति होना आवश्यक है। यह अपेक्षा आवेदक कंपनी या इसकी प्रवर्तक कंपनी के स्तर पर लागू की जा सकती है।

ग) संस्थाएं/ संगठन/ संघ, जब तक समिति द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से छूट न दी गई हो, पंजीकरण के लिए आवेदन की तिथि से न्यूनतम 5 वर्ष पहले से अस्तित्व में होने चाहिए। इन 5 वर्षों में से पिछले तीन वर्षो में कंपनी का ग्राहक सुरक्षा/जागरुकता के क्षेत्र में कार्य करने का रिकॉर्ड होना चाहिए।

4. गतिविधियों का दायरा

जमाकर्ता शिक्षा और जागरुकता निधि के द्वारा जिन गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, उनका दायरा निम्नानुसार है :

i) मान्यता प्राप्त जमाकर्ता संघों/गैर सरकारी संगठनों इत्यादि के साथ मिलकर समाज के वंचित तबकों के बीच वित्तीय साक्षरता के फायदों के बारे में शिक्षा और जागरुकता फैलाने के लिए कार्यक्रम आदि का आयोजन करना, विभिन्न चैनलों में उपलब्ध विभिन्न उत्पादों के बारे में जानकारी देना तथा नामांकन के लिए प्रक्रियाओं/औपचारिकताओं आदि को समझाना तथा वास्तविक रूप से उनके खाते खुलवाना।

ii) सुरक्षित बैंकिंग समेत वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए जमाकर्ताओं / जमाकर्ता संघों क लिए सेमिनार और विचार–गोष्ठी का आयोजन करना।

iii) जमाकर्ता शिक्षा, अधिकारों की जागरुकता इत्यादि से संबंधित परियोजनाओं तथा शोध कार्यों को वित्त प्रदान करना।

iv) जमाकर्ताओं की जागरुकता के लिए चलाए जाने वाले प्रदर्शनी, सेमिनार, टाउन हाल इवेंट्स, आउटरीच कार्यक्रमों इत्यादि में वितरण के लिए सामग्री का उत्पादन/आपूर्ति करना।

v) वित्तीय साक्षरता, ग्राहक सुरक्षा आदि पर मीडिया अभियान चलाना।

vi) ग्राहक सुरक्षा/जागरुकता संबंधी अन्य कार्यक्रम ।

यह बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 26A (4) के अन्तर्गत केवल एक सांकेतिक सूची है और भारतीय रिज़र्व बैंक ऐसी अन्य गतिविधियों पर भी विचार कर सकता है जो समय– समय पर निधि के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उसकी नजर में आवश्यक प्रतीत हों।

5. परियोजना आयोजना और वित्तीय सहायता

पंजीकृत संस्थाएं/संगठन/ संघ, जिनके पास बैंक जमाकर्ता शिक्षा और जागरुकता के संबंध में व्यवहार्य परियोजना/प्रस्ताव हो, वे निधि से सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हो सकती/सकते हैं। पंजीकृत संस्थाएं अपनी प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्योरा देते हुए वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकती हैं। इन ब्योरों में परियोजना की अनुमानित लागत और अपेक्षित सहायता की सूचना शामिल होगी।

समिति द्वारा पंजीकृत/मान्यता प्राप्त संस्था, संगठन या संघ को प्रस्तावित गतिविधियों के स्वरूप के आधार पर सहायता अनुदान के रूप में एक बार या चरणों में प्रतिपूर्ति के रूप में, निधि का अनुदान देने पर विचार किया जाएगा।

6. अन्य शर्तें

क) संस्था / संगठन / संघ किसी विशेष व्यक्ति, धर्म, समुदाय, या जाति के लाभ के लिए नहीं होना चाहिए।

ख) संस्थाओं /संगठनों / संघों को यह वचन देना होगा कि वे निधि से प्राप्त धन का उपयोग केवल भारतीय रिजर्व बैंक/निधि द्वारा मान्य गतिविधियों तथा उनसे संबंधित व्यय पर करेंगे और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं करेंगे।

ग) संस्थाओं / संगठनों / संघों को यह वचन देना होगा कि वे निधि / रिजर्व बैंक / रिजर्व के प्रतिनिधियों को निधि से प्राप्त अनुदान तथा इसे खर्च करने की पद्धति के संबंध में उनके द्वारा रखे गए सभी बहियों और खातों को उपलब्ध कराएंगे।

घ) संस्थाओं / संगठनों / संघों, जिनको निधि से वित्तीय सहायता मिली है, उनको जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता गतिविधियों के लिए किए गए व्यय के संबंध में सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

7. निगरानी

पंजीकरण के बाद संस्थाओं / संगठनों / संघों की गतिविधि की निगरानी की जाएगी। यदि पंजीकृत संस्थाओं / संगठनों / संघों की गतिविधियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत गतिविधियों के अनुरूप नहीं होती हैं, तो समिति ऐसी संस्था / संगठन / संघ का पंजीकरण रद्द कर सकती है तथा इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। प्रदत्त निधि के संबंध में, समिति निधि के हित में जब कभी आवश्यक समझे कानुनी कार्रवाई सहित उचित कार्रवाई करेगी।

8. आवेदन की प्रक्रिया

अनुबंध में दिए गए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। इसके अलावा, आवेदकों को आवेदन पत्र में दी गयी दस्तावेजों के सूची के अनुसार उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न, सदस्यता, वित्तीय विवरण, पिछले पांच साल में राज्य/केन्द्र सरकार से प्राप्त मंजूरी/अनुदान आदि की सूची के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज / जानकारी प्रस्तुत करनी होगी। पंजीकरण के लिए आवेदन अन्य सूचनाओं के साथ पत्र निम्नलिखित को प्रस्तुत किया जाए:

मुख्य महाप्रबंधक
बैंकिंग विनियमन विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय
12वीं मंजिल, शहीद भगतसिंह मार्ग
मुंबई – 400001.

पहले चरण में, आवेदनपत्र, उपर्युक्त पते पर फ़रवरी 27, 2015 को कारोबार की समाप्ति तक स्वीकार किए जाएंगे। पंजीकरण दौरान प्राप्त अनुभव के बाद में निरंतर आधार पर आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तथापि, ये दिशा-निर्देश आवधिक समीक्षा और संशोधन के अधीन हैं।

9. समिति द्वारा निर्णय की प्रक्रिया

क. पंजीकरण के समय समिति:

1. शुरआत में आवेदकों की प्रथम दृष्टया पात्रता सुनिश्चित करने के लिए आवेदनों की जांच करेगी तथा आवेदनों की योग्यता निर्धारित करने के लिए समिति अन्य मानदंड भी लागू कर सकती है।
2. निधि से वित्तीय सहायता मांगने वाली संस्था / संगठन / संघ के ऐसे आवेदकों की पात्रता का मूल्यांकन करने के लिए पिछले पांच वर्ष के लेखा परीक्षीत लेखे तथा वार्षिक रिपोर्टो को ध्यान में लेगी और ऐसे आवेदकों की अन्य गतिविधियों की जांच कर सकती है।
3. पंजीकरण के लिए आवेदक योग्य और उचित है अथवा नहीं यह निर्धारित करने के लिए समिति भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय सहित अन्य प्राधिकारियों से जो उचित समझे पूछताछ कर सकती है।
4. आवेदनों की प्रारंभिक जांच, संवीक्षा समिति को सौंप सकती हैं, जिसके सदस्य उक्त समिति के सदस्य नहीं भी हो सकते है ।

ख. वित्तीय सहायता प्रदान करते समय समिति:

1. निधि का वितरण अधिकृत करने से पहले प्रस्तावों तथा अनुदान और सहायता के प्रस्तावित अंतिम उपयोग की जांच करेगी।
2. ऐसी संस्थाओं / संगठनों / संघों को पहले से दी निधि के अंतिम उपयोग के संबंध में जानकारी मांग सकती है, या किसी भी प्रकार से इसका सत्यापन कर सकती है।
3. यदि उचित समझे तो, प्रस्तावित परियोजना में इस योजना के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने की क्षमता है, इस बात से संतुष्ट होने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों सहित अन्य प्राधिकारियों से पूछताछ कर सकती है।

10. पंजीकरण तथा वित्तीय सहायता प्रदान करना

क) संस्थाओं / संगठनों / संघों का पंजीकरण और उसके फलस्वरूप निधियों का संवितरण, ये दो चरणीय प्रक्रिया होगी और उसे अलग-अलग माना जाना चाहिए। पंजीकरण के बाद, निधि का वितरण परियोजना आधार पर किया जाएगा, जो एक अलग प्रक्रिया होगी।

ख) पंजीकृत संस्था / संगठन / संघ जिनके पास जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता पर एक व्यावहारिक परियोजना / प्रस्ताव है, निधि से सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। तथापि, पंजीकरण होने मात्र से किसी भी पंजीकृत संस्था / संगठन / संघ को निधि से अपने आप वित्तीय सहायता का दावा करने के लिए पात्र नहीं बनाता है।

ग) पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पंजीकृत संस्थाओं / संगठनों / संघों के नाम भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे।